संख्या-03/2022/2758/77-3-2021-139एम/20

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदाई/सम्भल/उन्नाव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना से आच्छादित जनपद हरदोई को भूमि क्रय हेतु आंवटित धनराशि रू0 950.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 135.00 करोड़ में से आवश्कतानुसार जनपद उन्नाव को रू0 100.00 करोड़ तथा जनपद-सम्भल को रू0 35.00 करोड़ हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-8043/यूपीडा/17/आवंटन/1916/2020 दिनांक 30.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे।

2. उल्लेखनीय है कि विषयांकित परियोजना हेतु जिलाधिकारी, हरदोई को रू0 950.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु आवंटित की गयी थी, के सापेक्ष रू0 815.00 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जा चुका है तथा आवश्यकता न होने के कारण रू0 135.00 करोड़ अप्रयुक्त है।

3. यूपीडा द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 04.12.2021 के अनुसार वापसी हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 135.00 में से रू0 35.00 करोड़ जिलाधिकारी, सम्भल को तथा रू0 100.00 करोड़ जिलाधिकारी, उन्नाव को उनके द्वारा सूचित की गयी आवश्यकता के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु जिलाधिकारी, हरदोई अपने डिपाजिट खाते में जमा अवशेष अप्रयुक्त धनराशि रू0 135.00 करोड़ में से रू0 100.00 करोड़ जिलाधिकारी, उन्नाव को तथा रू0 35.00 करोड़ जिलाधिकारी, सम्भल को उनके डिपाजिट खाते में जमा कराने का कष्ट करें। जिलाधिकारी, उन्नाव तथा सम्भल परियोजना हेतु भूमि क्रय के लिए केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से करेंगे तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा तथा शासन को यथासमय प्रेषित करेंगे। यूपीडा का यह दायित्व होगा कि वह आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को भेजते समय व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर लेंगे।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-03/2022/2758(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरदोई/सम्भल/उन्नाव ।
5. निदेशक, वित्त संाख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।